UPSR010004792026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-181/2026

पारसनाथ सोनी उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र राम गोपाल सोनी

साकिन–ग्राम–पथारकलां, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0सं0–0031/2026
धारा–309(4), 317(2) बी0एन0एस0
थाना–हरदत्तनगर गिरंट, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 23.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **पारसनाथ सोनी** की ओर से अपराध संख्या 0031/2026, धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0, थाना हरदत्तनगर गिरंट, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा रिन्नू बेगम ने प्रभारी निरीक्षक थाना हरदत्तनगर गिरन्ट, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 02.03.2026 को इस आशय की तहरीर दिया कि आज दिनांक 02.03.2026 को सायं समय करीब 3.30 बजे वह अपनी जेठानी सिबरूल पत्नी असलम के साथ शंकरपुर से बाजार करके वापस घर आ रही थी कि छोटा करनपुर पुलिया के पास पहुॅचने पर एक लाल रंग की अपाची बिना नम्बर जिस पर तीन व्यक्ति बैठे हुए थे जो उसके सामने आकर रूक गयी और उसका हैण्ड बैग छीनने लगे। वह व उसकी जेठानी के विरोध करने पर तीनों ने मिलकर जबरदस्ती उसका बैग छीनकर तीनों व्यक्ति उसी मोटरसाइकिल से भाग गये, उसके बैग में उसका आधार कार्ड व मोबाइल VIVO T 2X5G गोल्डेन जिसमें सिम नं0 6388900297 लगा है तथा बैग में ही मु0 6,763 रूपये रखा है। बैग का रंग हल्का भूरा है सूचना को आयी है। अतः महोदय से प्रार्थना है कि मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तहरीर के आधार पर 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 309 (4) बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई। मामले की विवेचना लम्बित है।

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.23 15:26:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3– आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त को फर्जी तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में फंसाया गया है। प्रथम सूचक द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र के आधार पर थाने की पुलिस ने किसी व्यक्ति को नामजद अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बनाया है। आवेदक/अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है उसे संदेह के आधार पर होली के त्यौहार के दिन गिरफ्तार कर भेज भेज दिया गया। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। थाने की पुलिस द्वारा जो बरामदगी दिखायी गयी है पूरी तरह फर्जी तथ्यों पर आधारित है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के साथ लूट की घटना कारित की गयी है तथा आवेदक/अभियुक्त आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– मुकदमा अपराध संख्या 31/2026, थाना हरदत्तनगर गिरन्ट, जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त ने अपने पास से किसी लूट के सामान की बरामदगी से स्पष्ट इंकार किया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का एक आपराधिक इतिहास बताया गया है जिसके सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। आवेदक/अभियुक्त को जिस स्थान पर लूट की घटना बतायी गयी है उसी स्थान पर उसकी गिरफ्तारी तथाकथित घटना के अगले दिन दिखायी गयी है जो स्वाभाविक प्रतीत नहीं होती है। आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 03.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध होना बताया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त पारसनाथ सोनी का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पारसनाथ सोनी** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 23.03.2026